न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक R 1330-I-17 /2017 जिला–छतरपुर

रामकिशोर पुत्र श्री सुखलाल पटेल
निवासी–फुलारी तहसील महाराजपुर
जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1– राममिलन पुत्र श्री भइयन पटेल
2– रामचरण पुत्र श्री गोविन्द दास पटेल
3– वृजगोपाल पुत्र श्री भगवान दास पटेल
4– राजाराम पुत्र श्री शंकर पटेल
5– रामस्वरूप पुत्र श्री जगन्नाथ पटेल
निवासीगण – ग्राम फुलारी तहसील महाराजपुर जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 08.5.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 8.5.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>न्यायालय तहसीलदार तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 314/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार महाराजपुर के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया। कि उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन जॉच राजस्व निरीक्षक महाराजपुर से करायी गयी है। राजस्व निरीक्षक महाराजपुर ने लेख किया है कि आवेदक रामकिशोर द्वारा ग्राम फुलारी की आबादी भूमि खसरा नं. 490 में अवैध निर्माण किया गया है। रास्ता की तरफ 5 फुट व 7.5 फुट बढाकर 24 फुट लम्बी दीवाल बना ली है विद्युत खम्बा दीवाल के अन्दर कर दिया है, दीवाल बनने से रास्ता अवरूद्ध हो गया है। भविष्य में विवाद होने की भी आशंका है, स्थल पर काम बंद करवाया जाये।

11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1330-एक/2017 जिला छतरपुर रामकिशोर विरूद्ध राममिलन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत ।	
	2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार महाराजपुर के प्रकरण क्रमांक 314/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 03-05-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-05-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।	
	3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –	
	"1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	
24.01.19	4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	
	5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

24.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य